न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: चन्द्र शेखर (तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 311 / 2023

सरकार बनाम राजेन्द्र पुत्र जेठुराम, जाति–जाट, निवासी–सरदारपुरा, बलोदा।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 07.03.2024

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल राजेन्द्र पुत्र जेठुराम, जाति–जाट, निवासी–सरदारपुरा, बलोदा, द्वारा रोही मौजा सरदारपुरा की भूमि ख.नं. 24 के कुल रकबा 0.08 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.01 है0 भूमि पर लेट–बाथ, पानी की टंकी, एक कमरा व चारदिवारी बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया। जिसमें अपना अतिक्रमण स्वीकार करते हुए दर्ज रिकार्ड रास्ता बंद बताया है। तथा उक्त खसरा में अन्य डामर युक्त सड़क के रूप में रास्ते को चालु बताया है एवं अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया। गैर सायल का जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी /गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

वि० नं० 23 के रा० के
प० के पृ० सं० 49 पर राशि
05/- मौका कायम की गई।

(चन्द्र शेखर)
तहसीलदार, सूरजगढ़